

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश सहारण आर.ए.एस.

प्र.सं. 88/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/38

1. सतनाम सिंह पुत्र शीतल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 21 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ (विलोपित)
2. तहसीलदार अनूपगढ़

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र मनोहर सिंह जाति यादव निवासी 139 गांधी नगर, बीकानेर जिला बीकानेर।
2. बलराज सिंह पुत्र दौलतसिंह जाति यादव निवासीगण वार्ड नं. 12 पुलिस थाने के पीछे, अनूपगढ़।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954
उपस्थिति :-

1. तहसीलदार अनूपगढ़ - प्रार्थी
2. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2
3. एकपक्षीय, अप्रार्थी सं. 1

—:: निर्णय ::—

दिनांक : ०९.०९.२५

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. प्रार्थी सतनाम सिंह पुत्र शीतल सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 21 अनूपगढ़ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 व 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील अनूपगढ़ के चक 16 ए के मु.नं. 299/447 का किला नं. 22 का 19 बिस्वा, 23 सालम, 24 का 18 बिस्वा, 25 का 10 बिस्वा कुल 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि सहायक आयुक्त उपनिवेशन राज. नहर योजना घड़साना मुकाम अनूपगढ़ से जरिए मिसल नं. 68/1980 विशेष आवंटन निर्णय दिनांक दिनांक 06.03.1981 को विशेष आवंटन में रमेश कुमार पुत्र मनोहर सिंह ने आवंटन करवा ली। विशेष आवंटन में रकबा आवंटन करवाने के लिए आवंटन नियम 13 ए विशेष आवंटन नियम 20.02.1980 को प्रभाव में आया था। इस नियम के अनुसार ऐसी भूमि ऐसे व्यक्तियों को आवंटित की जा सकेगी जो इन नियमों के नियम 7 के उपनियम (1) में दी गई प्राथमिकता के लिए ऐसे आवंटन के लिए पात्र हैं। इस नियम 7 में आवंटन के लिए जो प्राथमिकता का क्रम बताया गया है। उसमें अस्थायी काश्तकार, पट्टाधारक के अलावा अन्य सभी क्रम के व्यक्तियों के मुख्यतः भूमिहीन व्यक्ति भी होना जरूरी था। इस अधिनियम में भूमिहीन व्यक्ति के 2(8) में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के तहत आवंटन करवाने वाले व्यक्ति का राजस्थान का निवासी होने के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियों को पेशे से सद्भावी कृषक या सद्भाविक कृषि श्रमिक होना जरूरी है तथा ऐसे व्यक्ति जिसकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है तथा भारत में कहीं भी भूमि धारित नहीं करता या 25 बीघा से कम भूमि धारित करता है भी शामिल है। इस प्रकार सद्भाविक कृषक या मजदूर तथा ऐसे व्यक्ति के पास यदि 25 बीघा से कम भूमि होने से ही भूमिहीन व्यक्ति समझा जाएगा अप्रार्थी सं. 01 रमेश कुमार पेशे से एम.बी.बी.एस डॉक्टर थे, जो उसके द्वारा भूमि को आवंटन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़



करवाने के प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.1981 को आवेदन करने के रोज से पूर्व में एम.बी.बी.एस की डिक्की धारक व्यक्ति है, जबकि इस नियम के तहत आवंटन करवाने वाले व्यक्ति का सदभाविक कृषक होना जरूरी था। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 01 आवेदन के समय सदभाविक कृषक नहीं थे। जब अप्रार्थी सं. 01 सदभाविक कृषक नहीं थे तो वे भूमिहीन व्यक्ति नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 01 रमेश कुमार ने तहसीलदार अनूपगढ़ से भूमिहीन काश्तकार का गलत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। चूंकि अप्रार्थी सं. 01 का भाई सन 1980 से 84 तक नगरपालिका अनूपगढ़ का चैयरमेन था इस कारण अपने वेजा प्रभाव व साठगांठ कर तहसीलदार से गलत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है एवं अप्रार्थी सं. 01 ने इस तथ्य को अपने आवेदन पत्र व इसके साथ पेश शपथ पत्र में छिपाया है तथा आवेदन पत्र में स्वयं को नियमों के खंड 5, 13 व 17 में यथा परिभाषित व्यक्ति बताया है, जबकि अप्रार्थी सं. 01, नियम 2 के खंड 5, 13 व 17 में यथा परिभाषित व्यक्ति नहीं थे। नियम 2 के खण्ड 13 के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति में सदभाविक कृषि पेशा व्यक्ति, सदभाविक कृषि श्रमिक होना जरूरी है तथा ऐसे व्यक्ति के पास 25 बीघा भूमि से कम भूमि होना जरूरी है। अप्रार्थी सं. 1 के पास 25 बीघा भूमि से ज्यादा भूमि थी इसलिए आवंटी भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आते। इसके वावजूद अप्रार्थी सं. 01 ने अपने आपको नियम 2 के खण्ड 13 में परिभाषित भूमिहीन व्यक्ति बताया है तथा तहसीलदार से भूमिहीन व्यक्ति का गलत प्रमाण पत्र तैयार करवाकर पेश किया है। इसके अलावा अप्रार्थी सं. 01 व इसके पिता के पास प्रार्थना पत्र में बताई गई भूमि के अलावा भी भूमि थी, जिसको भी इन्होंने शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र में भी छिपाया है। इसके अलावा विवादित भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित थी। जिसका विशेष आवंटन ही नहीं किया जा सकता था, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 01 रमेश कुमार का आवंटन रद्द किए जाने योग्य है। अप्रार्थी सं. 01 ने भूमि आवंटन के पश्चात उक्त भूमि को अपने सगे भतीजे (अप्रार्थी सं. 02) को बेचान कर दी जिन्हे बतौर अप्रार्थी सं. 02 पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। इस मुकदमा की शेष भूमि भी सन् 1980 व 1981 में अप्रार्थी सं. 01 के भाई सुरेन्द्र सिंह व दौलत सिंह ने विशेष आवंटन में तथ्य छूपाकर आवंटन करवाने के पश्चात अप्रार्थी सं. 01 ने वर्णित विवादित भूमि का आवंटन करवाया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 01 के नाम से तहसील अनूपगढ़ के चक 16ए मु.नं. 299/447 की कुल 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि का विशेष आवंटन जरिये मिसल नम्बर 68/1981 निर्णय दिनांक 06.03.1981 को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाने के लिए निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात पेश किये गये। क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण पत्रावली पहले जिला कलक्टर न्यायालय अनूपगढ़ तत्पश्चात जिला कलक्टर महो. अनूपगढ़ के आदेशों की पालना में हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज की जाकर उभयपक्ष को तलब किया गया। इस दौरान दिनांक 25.02.2021 को तहसीलदार अनूपगढ़ के आवेदन पर उन्हें बतौर प्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया। तथा दिनांक 12.10.2023 को प्रार्थी सतनाम सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र विद्धो हेतु निवेदन किये जाने के आधार पर प्रार्थी सतनाम सिंह की हद तक प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप करते हुए प्रार्थी सतनाम सिंह का नाम हटाते हुए शीर्षक में प्रार्थी के नाम के आगे विलोपित अंकित करने के आदेश पारित किये गये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

3. प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक टीआरए/18/95 दिनांक 11.07.2018 अनुसार चक 16ए का मु.न. 299/447 की कुल 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि एसीसी घड़साना के द्वारा मि.न. 68/81 निर्णय दिनांक 06.02.1981 द्वारा रमेश कुमार पुत्र मनोहर लाल सिंह को आवंटन किया गया है एवं उक्त रकबा बलराज/दौलत सिंह द्वारा खरीदा हुआ है, जो 20.12.2013 से काबिज है। आवंटी के पास उपरोक्त भूमि के अलावा चक 11 पी का प.न. 160/1 कि.न. 1 ता 21 कुल 20 बीघा कमाण्ड व प.न. 147/57 कि.न. 5 ता 6, 15 ता 18, 24, 25 कुल 8 बीघा कमाण्ड कुल 28 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन है। वर्तमान में बलराज/दौलत सिंह का कब्जा कारस्त है।
4. अप्रार्थी सं. 2(जो कि अप्रार्थी सं. 1 से भूमि को खरीद की है) जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार को आवंटन नियम उपनियम के तहत ही कृषि भूमि का आवंटन करवाया गया जो किसी भी दृष्टि से गलत नहीं था। पात्रता के आधार पर आवंटन किया गया जो सही आवंटन है। उपरोक्त भूमि वर्ष 1980-81 में विशेष आवंटन के तहत आवंटित की गई थी। अप्रार्थी परिवार की आर्थिक स्थिति एवं स्टेटस वर्तमान स्टेटस से भिन्न था। चूंकि आवंटन करवाने वाला व्यक्ति 20 वर्ष से राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक शर्त थी। विशेष आवंटन के नियम 2 के खंड 5, 13 व 17 के तहत पात्रता रखते थे व विशेष आवंटन का पात्र मानते हुए ही आवंटन अधिकारी द्वारा विशेष आवंटन किया गया था। जिसमें कोई भी गलत प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया। तत्कालीन परिस्थितियों के तहत एवं पात्रता के आधार पर आवंटन किया गया था जो सही एवं उचित था। विशेष आवंटन की समस्त शर्तों के तहत आवंटी दौलत सिंह, सुरेन्द्र कुमार व रमेश कुमार को आवंटित किया गया था। जिसमें नियम 2 के तहत खंड 13 के प्रावधान लागू नहीं होते। तथाकथित अप्रार्थी ने इस मद में जो उक्त नियमों को परिभाषित किया गया है व हस्तगत प्रकरण पर चर्चा नहीं होते और न ही किसी प्रकार से किसी तथ्यों को छुपाया गया है तथा ना ही प्रसंगत भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित थी और विशेष आवंटन में ही नियमानुसार आवंटन किया गया है। मूल आवंटी दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार 20 वर्षों से राजस्थान के मूल निवासी होने के कारण विशेष आवंटन करवाने के पात्र थे तथा विशेष आवंटन नियमों के तहत ही सक्षम अधिकारी द्वारा समस्त जांच कर आवंटन किया गया था। जिसके खातेदारी अधिकार भी मूल आवंटियों के नाम प्रदत्त की गई एवं 40 वर्षों के उपरांत आवंटन आदेश को चुनौति दी गई जो विधि विपरीत है। प्रार्थी ने अधिकाररहित झुठी शिकायत प्रस्तुत की है। हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।
5. प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन संबंधित रिकार्ड पटवारी रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में विवादित भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 02 के नाम से दर्ज हैं। भूमि पर कब्जा अप्रार्थी सं. 02 का है। भूमि के आवंटन संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी व तहसीलदार की संयुक्त बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा पृथक से लिखित बहस (प्र.स. 88/2024 व 89/2024 दोनों में संयुक्त) पेश की गयी।
6. लिखित बहस का गहनता से परिशीलन किया। अप्रार्थी, अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के द्वारा निवेदन किया गया है कि दोनों प्रकरण आवंटन को रद्द करने के शिकायत प्रार्थना पत्र है। सुविधा की दृष्टि से दोनों में ही बलराज सिंह पक्षकार मुकदमा है। प्रार्थी सतनाम सिंह द्वारा उक्त दोनों शिकायतें प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 7 के प्रकाश में एवं दौलत सिंह व सुरेन्द्र कुमार सदभाविक कृषक ना होने के आधार पर शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया है। शिकायत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया है। इसी कृषि भूमि के संबंध

अतिरिक्त निवासी कालवट
अनूपगढ़



में श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के एक प्रकरण धारा 21 राजस्थान उपनिवेश अधिनियम के तहत पेश किया हुआ है। ऐसी स्थिति में हस्तगत दोनों प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। मूल आवंटि द्वारा कोई मिथ्या घोषण नहीं की गई एवं ना ही कोई तथ्य छुपाया गया है, वर्ष 1980-81 में विशेष आवंटन के तहत जो जमीन आवंटित की गई वो पात्रता के आधार पर एवं आवंटन नियमों के तहत ही विशेष आवंटन के पात्र मानते हुए ही आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर नियम 11,14 लागू नहीं होते एवं प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी सतनाम सिंह द्वारा व्यक्तिगत रंजिश के कारण यह शिकायत प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में आवंटन के बाद से ही कब्जा चला आ रहा है व खातेदारी अधिकारी भी प्राप्त हो चुके हैं। किसी भी स्थिति में आवंटन निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा उपखंड अधिकारी अनूपगढ़ की जांच रिपोर्ट 01.02.2018 प्रस्तुत की गई है जो हम अप्रार्थीगण पर प्रभावी नहीं है। उक्त जांच रिपोर्ट में ना तो हमें सुना गया और ना ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, उक्त जांच रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016 (2) पेज 813 पर है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रतिरक्षा व दस्तावेजों पर विचार किए बिना आदेश पारित किया जो प्राकृतिक नियमों के सिद्धांतों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 01.02.2018 कोई प्रभाव नहीं रखती है। शिकायतकर्ता द्वारा यह आक्षेप लगाया है कि कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किया जा रहा है, उक्त आक्षेप के आधार पर आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं है। वर्णित कृषि भूमि पर कृषि कार्य होता है जिसकी गिरदावरी थी हमारे पास है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा एक निर्णय में यह दर्ज किया है कि सद्भावी कृषक बाबत राजपत्र में प्रकाशन में 15.07.1993 को हुआ है एवं संशोधन 15.07.1993 को आया है। द्वारा यह माना कि 1995 के नियम 13 ए में सन् 1992 में सद्भावी कृषक होना आवश्यक नहीं था एवं आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। उक्त न्यायिक दृष्टांत आरबीआई 2002 पेज 103 में प्रकाशित किया गया है। आरआरटी 2001 (2) पेज 926 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किए गए कि उम्र के बार में गलत घोषणा कर दी गई तो आवंटन निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। खातेदारी मिलने के बाद कृषि भूमि को विक्रय कर दी इतनी लंबी अवधि के बाद आवंटन को निरस्त करने से न्याय का हनन है। उक्त कानूनी नजीरों के पक्ष में प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। आरआरटी 2003 (2) पेज 921 में सरकारी कर्मचारी को आवंटन हुआ था खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद नियम 14 (4) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते व आवंटन निरस्त करना अन्याय संगत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्याय निर्णय आरबीआई 1995 (2) में यह माना है कि खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के पश्चात् नियम 14(4) प्रभावी नहीं है एवं आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा आरआरटी 2016 (2) पेज 1116 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किए कि 1975 के नियम के तहत अगर किसी व्यक्ति ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन करवाया है तो आवंटन नियम 21 के तहत कार्यवाही हो सकती है। नियम 11,14 के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। इसी परिपेक्ष्य में डीएनजे 2016(2) पेज 732 एवं आरआरडी 2016 पेज 615 भी लागू है। आवंटन अधिकारी द्वारा नियमों तहत पात्र मानते हुए आवंटन किया है वर्तमान परिपेक्ष्य में आवंटन निरस्त किए जाने योग्य नहीं है। मूल आवंटि सुरेन्द्र कुमार 1982 से 1986 तक अध्यक्ष नगरपालिका रहे हैं। वह आवंटन उससे पूर्व का है, वरवक्त आवंटन समस्त पात्रता को मध्यनजर रखते

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

हुए आवंटन किया गया जो वैध व विधिसंगत आवंटन है। शिकायत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।


7. प्रार्थी सतनाम सिंह पुत्र शीतल सिंह जाति जटसिक्ख निवासी वार्ड नं. 21 पुरान अनूपगढ द्वारा दिनांक 12.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का मध्य प्लॉट का विवाद चल रहा था। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 नियम 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत पेश किया जिसके चलते प्रार्थी उक्त प्रकरण में पेश किया गया था जिसमें अब प्रार्थी का अप्रार्थीगण से पंच पंचायत की समझाइश से एवं लोक अदालत की प्रेरणा से राजीनामा हो गया है। जिससे हम पक्षकारन सहमत हैं। अब प्रार्थी उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। मुकदमा चलने से आपसी मुकदमा विवाद बढ़ेगा जिससे समय व धन की भी बर्बादी होना इसलिए सद्भाविक रूप से पक्षकारान के बीच में आपस में राजीनामा हो गया।
8. पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी सतनामसिंह प्रार्थना पत्र, तहसीलदार एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर गहनता से मनन किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.07.2018 को प्रस्तुत रिपोर्ट में चक 16ए का मु.न. 299/447 कुल 3 बीघा 7 बिसवा भूमि रमेश कुमार को मु.न. 68/21 निर्णय दिनांक 06.02.1981 द्वारा आवंटन होना एवं आवंटी रमेश कुमार के पास उक्त 3 बीघा 7 बिसवा भूमि के अलावा चक 11पी में कुल 28 बीघा भूमि होना व वर्तमान में बलराज/दौलत सिंह का कब्जा काश्त होना बताया है। किंतु बहस के दौरान तहसीलदार द्वारा आवंटन संबंधी रिकॉर्ड पटवारी रिकॉर्ड में नहीं होना बताया गया है एवं ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि आवंटी का पेशा कृषि नहीं था। आवंटी रमेश कुमार का पेशा कृषि था एवं अप्रार्थी अधिवक्ता के तहत सद्भाविक कृषक वह व्यक्ति है जिसकी प्राथमिक स्रोत कृषि है। चूंकि आवंटी ने अपने विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र में स्वयं द्वारा धारित एवं पिता की भूमि की भूमि का वर्णन किया है जिससे स्पष्ट प्रमाणित है कि आवंटी सद्भाविक कृषक थे जो कृषि भूमि काश्त व कृषि कार्य करते थे और जिनकी आय का स्रोत कृषि था (राजस्थान उपनिवेशन इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13ए विशेष आवंटन द्वारा विक्रय नियम में सद्भाविक कृषक दिनांक 15.07.1993 को संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और यह नियम तुरंत प्रभाव में आना प्रभावित किया गया। आवंटी रमेश कुमार के पास एम.बी.बी.एस डिग्री होने के आधार पर आवंटन निरस्त करना कतई न्यायसंगत विधिक संगत नहीं है। डिग्री का होना कोई व्यवसाय या आय स्रोत नहीं है धारित भूमि एवं विशेष आवंटन द्वारा आवंटित भूमि मिलाकर भी आवंटी सीलिंग सीमा से कम भूमि धारित करते हैं आवंटी राजस्थान के मूल निवासी एवं सद्भावी कृषि कार्य से आजीविका निर्वाह करते थे जिसकी पूर्ष्टि उपलब्ध रिपोर्ट व दस्तावेजों से हो चुकी है पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि आवंटी की आय का स्रोत कृषि नहीं था।
9. भूमि पौंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित होने की गलत व निराधार है राजस्थान उपनिवेशन (पौंग बांध विस्थापितों को इ.गा.न.प. क्षेत्र में आवंटन नियम 1975 के नियम 3 के तहत गजट में आरक्षित नहीं हुई थी और ना ही भूमि में पौंग बांध विस्थापितों के लिए भूमि का आरक्षित होने का कोई गजट पेश किया गया है। भूमि आवंटन हुए 43 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है भूमि की समस्त किश्तें व बकाया अदा की जा चुकी है तथा भूमि खातेदारी है। रमेश कुमार के पास एम.बी.बी.एस डिग्री के होने से सरकारी कर्मचारी माना भी नहीं जा सकता। आवंटन सन् 1981 का है उस समय सरकारी कर्मचारी को भी आवंटन हो सकता था। इस हेतु नियमों में संशोधन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

15.07.1993 को आया। 1981 के आंवटन पर लागू नहीं होता। आरबीआई 2002 पेज संख्या 103 प्रभावशील नहीं है।

10. खातेदारी प्राप्त होने भूमि का हस्तांतरण होने से इस अवस्था में आंवटन निरस्त करना न्याय का हनन होगा। स्वयं शिकायतकर्ता ने इसे समझते हुए शिकायत प्रार्थना पत्र विद्धा कर लिया है। तहसीलदार द्वारा भी ऐसा कोई पक्षकारान के विरुद्ध नहीं बताया है जिससे आवंटित रकबा निरस्त किया जा सके। अप्रार्थीगण के नाम से चक 11 पी में भी कृषि भूमि है। इससे भी यह कृषक पेशा साबित है तथा आंवटन अधिकारी द्वारा जांच उपरान्त भूमि का आंवटन किया हैं। तमाम तथ्यों के विचारण से निष्कर्षतः यह पाया गया हैं कि भूमि का विशेष आंवटन विधिसम्मत किया गया हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है तथा आवंटियों को किया गया आंवटन दिनांक 24.09.1980 व 06.03.1981 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद तरतीव तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 5/9/24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ओमप्रकाश सहारण)
R.A.S
अति. जिला कलक्टर
अनूपगढ़